# न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

पीठासीन अधिकारी : **मनोज कुमार, आर०जे०एस०**
नियमित फौज0 प्रकरण संख्या : 1219/2023(667/2015)(CISNo. 2235/2015)
एफआईआर नंबर : 114/2015 थाना प्रतापगढ

**राजस्थान राज्य ब ना म घासीराम व अन्य**

**अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता**

**भाग प्रथम**
**क**

| | |
|---|---|
| परिवादी | श्रीकिशन पुत्र रामजीलाल निवासी गुवाडा गुगली पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर राज. |
| प्रस्तुतकर्ता | श्री सुनील कुमार चौधरी, अभियोजन अधिकारी |
| अभियुक्तगण का नाम व पता | 1. घासीराम पुत्र रेवडराम उम्र 50 साल निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर,<br>2. पप्पूराम पुत्र घासीराम उम्र 25 साल निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर। |
| अधिवक्ता अभियुक्तगण | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा |

**ख**

| क्रम संख्या | चरण | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | प्रकरण संस्थित हुआ | 05.11.2015 |
| 2. | आरोप सारांश सुनाया गया | 05.11.2015 |
| 3. | साक्ष्य अभियोजन खोली गयी | 05.11.2015 |
| 4. | अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी | 05.02.2026 |
| 5. | परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी | 17.02.2026 |
| 6. | साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश की गयी | .......... |
| 7. | बहस अंतिम सुनी गयी | 17.03.2026 |
| 8. | अंतिम निर्णय | |

**ग**
**अभियुक्त का विवरण**

| क्र. सं. | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तिथि | जमानत पर छोड़े जाने की तिथि | अभियुक्त पर आरोप का विवरण | दोषसिद्धि या दोषमुक्त | दिये गए दण्ड का | धारा 428 दं.प्र. सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | विवरण (यदि कोई हो तो) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.<br><br>2. | घासीराम,<br><br>पप्पूराम | | | धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता | धारा 323, 341, 34 भा.दं.सं. में दोषमुक्त एवं धारा 336, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध | | |

## भाग द्वितीय
## अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

### अ–अभियोजन गवाह

| रैंक | साक्षी का नाम | साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| पी0ड0 1 | चन्दर | मजरूब |
| पी0ड0 2 | सरदारा | नक्शा मौका/चश्मदीद गवाह |
| पी0ड0 3 | किशन लाल | मजरूब /परिवादी |
| पी0ड0 4 | रेवडराम | चश्मदीद गवाह |
| पी0ड0 5 | गोविन्द सहाय | चश्मदीद गवाह |
| पी0ड0 6 | रमेश | नक्शा मौका |
| पी0ड0 7 | डॉ0 रमेश | चिकित्सकीय विशेषज्ञ |
| पी0ड0 8 | विश्वनाथ शर्मा | आरोप पत्र पेश करने |
| पी0ड0 9 | कैलाश चंद | अनुसंधान अधिकारी |
| पी0ड0 10 | पूरणमल | चश्मदीद |
| पी0ड0 11 | गोपाल | चश्मदीद |

### ब–बचाव पक्ष

| रैंक | साक्षी का नाम | साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | गवाह, अन्य गवाह) |
| | | |

**स–न्यायालय गवाह**

| रैंक | साक्षी का नाम | साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| | ———————— | |

**अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श**
**अ–अभियोजन प्रदर्श**

| प्रदर्श का कम | प्रदर्श संख्या | प्रदर्श का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श पी–1 | चोट प्रतिवेदन मजरूब चन्द्र उर्फ रामचन्द |
| 2. | प्रदर्श पी–2 | नक्शा मौका |
| 3. | प्रदर्श पी–3 | चोट प्रतिवेदन मजरूब श्रीकिशन |
| 4. | प्रदर्श पी–4 | अभियोग पत्र |
| 5. | प्रदर्श पी–5 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 6. | प्रदर्श पी–6 | बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. पूरणमल |
| 7. | प्रदर्श पी–6 | हालात नक्शा मौका घटना स्थल |

**–:: निर्णय ::–** **दिनांक: 17.03.2026**

1. यह आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में थानाधिकारी थाना प्रतापगढ जिला अलवर ने जरिए अभियोजन अधिकारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर के समक्ष पेश किया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश से उक्त प्रकरण की पत्रावली इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुई। एतद्द्वारा आरोप–पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्रीकिशन ने अभियोग पत्र प्रदर्श पी 4 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी में दिनांक 19.09.2015 को अप्रार्थीगण/गैर सायलान सियाराम, राजेश, पप्पू व घासी के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि दिनांक 13.09.2015 को समय करीब 06.00 बजे सांय परिवादी और परिवादी का भाई चन्दर अपने बाडे पर कार्य कर रहे थे, अचानक अभियुक्तगण उन्हें

जान से मारने की नियत से अपने हाथो में लाठी, कुल्हाडी लेकर आए और आते ही उन्हें मां बहन की गालियां देते हुए जबरन बाडे की बाड को कुचलने लग गये और बाडे पर कब्जा करने लग गये तब उसने और उसके भाई चन्दर ने अभियुक्तगण से ऐसा न करने को कहा तो मुल्जिम सियाराम ने उसके सिर में कुल्हाडी की मारी तथा मुल्जिम राजेश ने उसके भाई चन्दर के लाठी की पैर पर मारी जिससे उसके भाई चन्दर के गोडे की पाली उतर गई तथा उसके सिर से खून बहने लग गया, और मुल्जिम पप्पू, घासी ने भी लाठी की उसके पीठ पर मारी। जब जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज आई तो पडोसी गोविन्दसहाय पुत्र प्रभूदयाल, रेवड पुत्र गंगा ने आकर उनका बीच बचाव करवाया अन्यथा जान से मार देते। उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना प्रतापगढ वह व उसका भाई चन्दर गये तो उनका मेडिकल मुआयना कर दिया और कहा कि तुम लोग कल आना लेकिन दिनांक 18.09.2015 तक उनकी रिपोर्ट दर्ज नही की तथा अदालत में चाराजोई करने को कहा.......आदि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2015 को उक्त अभियोग पत्र वास्ते अनुसंधान हेतु थाना प्रतापगढ जिला अलवर को धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत भिजवाया गया। जिस पर थाना प्रतापगढ द्वारा एफआईआर संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 323, 341, 447, 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण घासीराम व पप्पू के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों द्वारा झूंठे कथन करना बताते हुए जाहिर किया कि उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना जाहिर किया।

**1. प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–**

**(क) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.09.2015 को समय सांय करीब 06.00 बजे वाकै गुवाडा गुगली में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय**

**के अग्रेषण में परिवादी व उसके भाई चन्दर को उस दिशा में जाने से निवृत्त किया जिस दिशा में जाने का उसे विधिक अधिकार प्राप्त था तथा सामान्य आशय के अग्रेषण में परिवादी व उसके भाई चन्दर के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर उनके शरीर पर स्वेच्छया साधारण प्रकृति की चोट कारित की एवं उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से अंधाधुंध पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापित किया। ?**

**(ख) यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र है ?**

6. दौराने बहस विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी व उसके भाई चन्दर के साथ मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण चोटे कारित करना एवं उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापित करना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है। कोई तात्विक विरोधाभास गवाहान के बयानो में नहीं है। अभियुक्तगण पर अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। उक्त तर्कों के साथ अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत **विद्वान् अधिवक्ता बचाव पक्ष** ने तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में परीक्षित गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास आया है। प्रकरण में मारपीट करने के संबंध में किसी प्रकार कोई हथियार अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अभियुक्तगण ने परिवादी/मजरूब के साथ मारपीट कर चोटे कारित की। आहतगण के शरीर पर चोटे मुल्जिमान द्वारा कारित करना प्रमाणित नही हुआ है तथा मारपीट की घटना मनगंढत है, कोई घटना नहीं हुई है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। उक्त तर्को के साथ बचाव पक्ष ने अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत **गवाह पी0ड0 1 चन्दर** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि दिनांक 13.09.2015 को शाम के 7—8 बजे की घटना है। वह और उसका भाई किशन बाडे में काम कर रहे थे। पप्पूराम, घीसाराम आए और उन्होंने कहा कि उनके बाडे में क्या कर रहे है। उसने

कहा कि बाडा तो उनका है। इसी बात पर कहासुनी हो गई थी और लाठी, डण्डो, पत्थरों से मारपीट करने लगे। हल्ला होने पर लोग आए। उनका बीच बचाव गोविन्द, रेबड, नाथूराम आदि ने करवाया था। मारपीट में उसके दांये पैर के घुटने पर चोट आई थी। किशन के कंधे व सिर पर चोट आई थी। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 होना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि झगडे के समय जयसिंह, किशन, श्योदान, सरदार सिह, जयराम मौजूद थे जो बाद में आए थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान घासीराम वगैरा ने उनसे यह कहा हो कि बाडा उनका है तथा इस बात पर लेकर उन्होंने मुल्जिमान के साथ मारपीट की हो। झगडे में मुल्जिमान पप्पू, रामबाई, घासी के चोटे आई थी। दोनों तरफ से ही लाठी पत्थर चालू हो गये थे। यह कहना गलत है कि झगडे में घासी का दांत टूटा हो, बल्कि दांत पहले से ही टूटा हुआ था। यह बात सही है कि उस दिन की घटना की रिपोर्ट घासी ने उनके खिलाफ कर दी। यह बात सही है कि उस केस से बचने के लिए रिपोर्ट कराई थी।

9. **गवाह पी0ड0 2 सरदारा** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि झगडा दिनांक 13.09.2015 की है। शाम के 7–8 बजे की बात है। चन्दर और श्रीकिशन अपने बाडे में काम कर रहे थे। बाडे में से चिल्लाने की आवाज आई। पास में ही उसका घर है। उसने देखा कि पप्पू, घासीराम पत्थर फेंक रहे थे जो चन्दर, किशन पर फेंक रहे थे। जिसमें श्रीकिशन के सिर, चन्दर के पैर में चोट आई थी। बीच बचाव उसने, रेबड, गोविन्द ने करवाया था। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि** उसने दोनों पक्षो की पत्थरबाजी नही देखी। उसने मुल्जिमान को पत्थर फेंकते देखा था। उसे नही पता कि पप्पू, घासी, रामबाई के चोटे कैसे आई थी। उसने श्योदान को नहीं देखा। उसने श्रीकिशन व चन्दर को देखा था। यह बात सही है कि मुल्जिमान ने उससे दिन की घटना का उसके उपर भी केस कर रखा है। यह कहना गलत है कि मारपीट में उन्होंने रामबाई, पप्पू, घासी के साथ मारपीट की हो और घासी का दांत तोडा हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने पहले मुकदमा किया हो और उस केस से बचने के लिए उन्होंने मुकदमा किया हो।

10. **गवाह पी0ड0 3 श्रीकिशन लाल** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह अनपढ है। करीब 6–7 साल पहले की बात है। समय करीब शाम को 6–7 बज रहे थे। उस समय वह और चन्दर दोनों अपने बाडे में थे। फिर घासीराम और पप्पू उनके साथ मारपीट करने लग गये। मारपीट लाठियों से

कर रहे थे। मारपीट में उसके सिर और चन्दर के घुटनो पर चोट लगी थी। फिर उनके पडोसी रेवड, गोविन्द सहाय और सरदार ने मौके पर आकर उनका बीच बचाव कराया था। उसका मेडिकल हुआ था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने जरिये इस्तगासा दर्ज कराई थी। इस्तगासा प्रदर्श पी 4 होना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि इसी घटना बाबत घासी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। यह कहना गलत है कि उन्होंने घासी की पाटोल पर जाकर उनके साथ मारपीट की हो जिससे घासी, रामबाई व पप्पू के चोटे आई हो। घासी, रामबाई और पप्पू के चोटे कैसे आई उसे नहीं पता। उनके साथ मारपीट नहीं की। वह नक्शा मौका के बारे में नही समझता इसलिए नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 देखकर नही बता सकता कि झगडा कौनसी जगह हुआ। वह यह भी नही बता सकता कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 में उसका बाडा कौनसा है व घासी की पाटोल कौनसी है। यह कहना गलत है कि उन्होंने मुल्जिमान के साथ मारपीट की हो और उनके द्वारा पहले रिपोर्ट दर्ज करवा देने के बाद बचाव में मुकदमा दर्ज करवाया हो। उसके सिर में चोट आई थी जो लाठी मारने के कारण आई थी। उसने अपने इस्तगासा प्रदर्श पी 4 की मद संख्या 2 में सियाराम द्वारा कुल्हाडी उसके सिर में व राजेश द्वारा लाठी से उसके भाई चन्दर के पैर पर मारने वाली बात लिखाई है जो सही है। गवाह ने अपने बयानो में घासी व पप्पू द्वारा लाठी से मारपीट करने वाली बात बताई है जो गलत लिखवाई है। सियाराम ने उसके सिर में कुल्हाडी के धारदार वाले भाग से मारी थी। उसने अपनी चोट को डॉक्टर को दिखाया था। उसकी चोट पर 7—8 टांके आये थे। डॉक्टर ने कुल्हाडी की चोट नही लिखी हो तो उसे जानकारी नहीं है। चन्दर के घुटने की पाली गिरने पर निकल गई। गोविन्द सहाय, रेवड व सरदार हल्ला सुनकर मौके पर आए थे। यह कहना गलत है कि उसने अपने बचाव के लिए झूंठा मुकदमा कराया हो और उसके कोई चोट नहीं आई हो।

11. **गवाह पी0ड0 4 रेवडराम ने** अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह, श्रीकिशन, चन्दर व पप्पू वगैरा को जानता है। ये आपस मे भाई बंध है। इनके बीच में करीब 6 साल पहले झगडा हुआ था। झगडा चन्दर व किशन के बाडे में हुआ था। वह उस समय खेतो मे था। हल्ला सुनकर वह मौके पर आया था। जब मौके पर पहुंचा तो घासी, पप्पू, चन्दर व किशन के बीच में झगडा हो रहा था। उसने बीच बचाव करवाया था। उसके अलावा गोविन्द सहाय व सरदार भी मौके पर आ

गये थे। उन्होंने बीच बचाव करवाया था। चन्दर के पैर में व किशन के सिर में चोट आई थी। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया है कि चन्दर, किशन व घासी, पप्पू झगडा कर रहे थे। सरदारा, श्रीकिशन, जयराम, कालूराम, दिलखुश, जयसिंह व धर्मेन्द्र ये सभी लोग झगडे के समय मौजूद थे। ये लोग हल्ला सुनकर आए थे। इन लोगो ने घासी व पप्पू के साथ मारपीट नहीं की थी। सियाराम मौके पर नहीं था। सियाराम के साथ कुल्हाडी से मारपीट करते हुए उसने नही देखा। घासी, पप्पू व रामबाई के चोटे कैसे आई उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं था। किशन उसका भाई है। घासी भी उसका भाई है। यह कहना गलत है कि झगडा घासी की पाटोल में जाकर किया हो। यह कहना गलत है कि जबरदती घासी के बाडे का कब्जा परिवादी पक्ष लेना चाहता हो।

12. **गवाह पी0ड0 5 गोविन्द सहाय** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह अनपढ है। वह किशन व चन्दर को जानता है। ये उनके भाई बंध है। इनके साथ करीब 6 साल पहले शाम को करीब 6–7 बजे घासी, पप्पू झगडा कर रहे थे। वह अजबगढ से घर जा रहा था तो इनका झगडा देखकर रूक गया था तथा उनका बीच बचाव करवाया था। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि बाडा जिसमें पाटोल बनी हुई थी उसमे झगडा हो रहा था। घासी पाटोल के पास साईड में मकान में रहता है। झगडा पाटोल की बात को लेकर था। उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई और न ही उसने किसी के कोई चोट देखी।

13. **गवाह पी0ड0 6 रमेश** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि पुलिस ने मारपीट का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि वह नक्शा मौका समझता है। वह खसरा नंबर नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उससे थाने पर नक्शा मौका पर हस्ताक्षर करवाये हो।

14. **गवाह पी0ड0 7 डॉ0 रमेश कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि दिनांक 13.09.2015 को वह पीएचसी प्रतापगढ में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ प्रतापगढ के प्रतिवेदन पर मजरूब चन्द उर्फ रामचंद्र पुत्र रामजीलाल के शरीर पर आई चोट का मेडिकल किया था। जिसके दांये घुटने पर दर्द व सूजन था। चोट साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी जो 2–3 घंटे के अंदर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 है। उसी दिन मजरूब श्रीकिशन पुत्र रामजीलाल के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल किया था।

चोट संख्या 1 दांये कंधे पर दर्द एवं सूजन थी। जिस पर बाहय चोट नहीं थी। चोट संख्या 2 ललाट पर बांई तरफ 2 गुणा 1 सेमी. फटा हुआ घाव था। दोनों चोटे साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया है कि प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 की चोटे गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि उसी दिन उसने क्रोस केस के मजरूब घासी, रामबाई, पप्पू की चोटो का मेडिकल मुआयना भी किया था।

15. **गवाह पी0ड0 8 विश्वनाथ शर्मा** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह दिनांक 28.10.2015 को पुलिस थाना प्रतापगढ में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी कैलाश चंद एचसी ने मुकदमा संख्या 114/15 की पत्रावली बाद अनुसंधान मुल्जिमान घासीराम व पप्पूराम के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341, 336, 34 भा.दं.सं. का प्रमाणित मानकर वास्ते अग्रिम कार्यवाही उसके सुपुर्द की थी। बाद अवलोकन पत्रावली व बाद प्राप्ति चालानी आदेश उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट नंबर 66/15 उसने न्यायालय में पेश की थी। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि इसका क्रोस केस सरकार बनाम जयसिंह की चार्जशीट भी उसने ही पेश की थी। यह बात सही है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ था। दोनों पत्रावलियों के अवलोकन से यह बात सामने आई कि दोनो पक्षो में एक बाडे को लेकर झगडा था। बाडे के स्वामित्व बाबत् दोनों पक्षो में से किसी के पास भी कोई दस्तावेज या अन्य रिकोर्ड नहीं था।

16. **गवाह पी0ड0 9 कैलाश चंद** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2015 को वह पुलिस थाना प्रतापगढ में एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन परिवादी किशन पुत्र रामजीलाल द्वारा पेश इस्तगासा जरिये डाक न्यायालय सीजे एंड जेएम थानागाजी से प्राप्त होने पर आईसी थाना इब्राहिम एचसी ने इस्तगासे पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा संख्या 114/15 अंतर्गत धारा 323, 341, 447, 34 भा.द.सं. में दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसके सुपुर्द की थी। इस्तगासा प्रदर्श पी 4 पर अंकित कार्यवाही पुलिस एवं चाक एफआईआर प्रदर्श पी 5 है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान किशन, चंद्र, रेवड, सरदार सिंह, गोविन्द सहाय, गोपाल, पूरणमल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। घटना स्थल का नक्शा मौका मुस्तगिस मुकदमा की निशादेही से कसीद किया था जो प्रदर्श पी 2 है। हालात मौका प्रदर्श पी 6 है। मजरूबान चंद्र उर्फ रामचंद्र का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 व श्रीकिशन का

चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे। बाद अनुसंधान मुल्जिमान घासीराम व पप्पूराम के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341, 336, 34 भा.द.सं. का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही एसएचओ के सुपुर्द की थी। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया है कि उक्त प्रकरण के क्रोस केस सरकार बनाम जयसिंह की तफतीश भी उसने की थी। सरकार बनाम जयसिंह वगैरा व सरकार बनाम घासीराम वगैरो दोनों पक्षो में पथराव किया था जो फ्रीफाईट थी। बाडे को लेकर झगडा आगे बाडे के पास में पगडंडी के पास हुआ था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 में सी स्थान पर घासी का खेत है। मार्का बी विवादित बाडा घासी के खेत का हिस्सा है या नहीं वह नहीं बता सकता। यह सही है कि परिवादी ने अभियोग पत्र में धारा 326 व 447 भा.द.सं. का अपराध भी वर्णित किया था। लेकिन उसकी तफतीश में ये दोनों अपराध साबित नहीं पाये गये।

17. **गवाह पी0ड0 10 पूरणमल** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके सामने किसी ने किसी के साथ मारपीट नहीं की। जिस पर **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर की गई जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि राजेश व सियाराम गुगली का गुवाडा के झगडे में हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 पुलिस को देने से इंकार किया।

18. **गवाह पी0ड0 11 गोपाल** ने अपने मुख्य परीक्षण कथन किया है कि उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था। जिस पर **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर की गई जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि राजेश, सियाराम उसके भांजे लगते है। घासीराम उसका बहनोई लगता है। यह कहना गलत है कि घीसा और पप्पू ने श्रीकिशन वगैरा के साथ मारपीट की हो।

19. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जाए तो प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहान परीक्षित करवाये गये है। जिनमें गवाह पी0ड0 1 चन्दर, पी0ड0 3 किशन लाल आहतगण है तथा पी0ड0 3 किशन लाल स्वयं प्रकरण का सूचनाकर्ता भी है। प्रकरण में गवाह पी0ड0 2 रेवडराम व पी0ड0 3 गोविन्द सहाय को स्वतंत्र व चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन ने परीक्षित करवाया है। इन गवाहान ने आहतगण किशन व चन्दर व मुल्जिमान के मध्य वक्त घटना झगडा होने की ताईद की है। जिसके संबंध में इन गवाहान के बयान जिरह में अखण्डित रहे है। इसके अतिरिक्त साक्षी गवाह पी0ड0 6 रमेश ने घ टना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पुलिस द्वारा उसके सामने बनाये जाने की ताईद की है। प्रकरण में गवाह पी0ड0 1 चन्दर आहत ने दोनों पक्षो की ओर से

पथराव होने से चोटे आने की साक्ष्य दी है। जिसकी ताईद गवाह पी0ड0 2 सरदारा ने भी अपने बयानो से की है। जिसका समर्थन अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 9 कैलाश चंद ने भी अपने बयानो में किया है जिसने इस घटना के क्रोस केस की तफतीश उसके द्वारा किया जाना जाहिर करते हुए स्पष्ट कहा है कि दोनों पक्षो ने पथराव किया था।

20. जहां तक मुल्जिमान द्वारा आहतगण के साथ मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो गवाह पी0ड0 3 किशन लाल ने अपने मुख्य परीक्षा में मुल्जिमान घासी व पप्पू द्वारा उनके साथ लाठीयों से मारपीट करना बताया है। परंतु जिरह में इस तथ्य का समर्थन नहीं करते हुए इस गवाह ने साफ कहा है कि उसने आज अपने बयानो मे घासी व पप्पू द्वारा लाठी से मारपीट करने वाली बात गलत लिखाई है। इसके अतिरिक्त इस गवाह ने स्पष्ट रूप से उसके सिर में कुल्हाडी से सियाराम द्वारा व उसके भाई चन्दर के पैर पर राजेश द्वारा चोट मारना जाहिर किया है। जो कि इस प्रकरण में मुल्जिम नहीं है। ऐसे में मुल्जिमान घासी व पप्पू के साथ मारपीट करने के संबंध में मुख्य परीक्षा में दिये गये कथनो से यह गवाह जिरह में खण्डित हुआ है और गंभीर विरोधाभास अपने बयानो से पैदा किया है। प्रकरण में गवाह गोविन्द सहाय जो कि चश्मदीद के रूप में परीक्षित हुआ है, ने भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने की पुष्टि नहीं की है और साफ कहा है कि उसने कोई चोट नहीं देखी है।

21. इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि वक्त घटना मुल्जिमान द्वारा पथराव किया जा रहा था। परंतु घासी व चन्दर के चोटे मुल्जिम घासी व पप्पू ने कारित की हो, इस संबंध में गवाहान के बयानो में गंभीर विरोधाभास प्रकट होता है। क्योंकि सियाराम व राजेश के नाम के व्यक्ति प्रकरण में मुल्जिम नहीं है जबकि गवाह किशन ने सियाराम व राजेश द्वारा उसके चोट कारित करने की साक्ष्य दी है तथा घासी व पप्पू के द्वारा लाठी से मारपीट करने वाली बात को गलत होना बताया है। हालांकि प्रकरण में गवाह पी0ड0 7 डॉ0 रमेश कुमार ने आहतगण चन्दर व किशन के चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 3 उसके द्वारा तैयार किया जाना व आहतगण के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटे होना तथा चोटो का कुंद हथियार से कारित होना एवं चोटो की अवधि 2 से 3 घंटे के भीतर के होने की ताईद की है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि मजरूबान के शरीर पर आई चोटे मुल्जिमान ने कारित की हो, इस संबंध में अभियोजन के गवाहान में गंभीर विरोधाभास आया है। आहत किशन उसके व चन्दर के चोटे जिन व्यक्तियो के द्वारा कारित करना बताता है उनका नाम सियाराम व राजेश जाहिर करता है तथा अपने

परिवाद प्रदर्श पी 4 में भी इन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख है। परंतु प्रकरण में इस नाम के कोई व्यक्ति मुल्जिम नहीं है। प्रकरण में शेष गवाहान पी0ड0 10 पूरणमलण व पी0ड0 11 गोपाल भी पक्षद्रोही घोषित हुए है। जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर स्पष्ट कहा है कि उनके सामने किसी ने कोई मारपीट नहीं की। ऐसे में अभियुक्तगण घासी व पप्पू के द्वारा आहतगण के शरीर पर चोटे कारित करने में गंभीर संदेह पैदा होता है। प्रकरण में इस प्रकार अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना था कि आहतगण के चोटे मुल्जिमान द्वारा कारित की गई। प्रकरण में आहतगण के चोटे पत्थर से कारित हुई अथवा मुल्जिमान ने कुंद हथियार से कारित की, यह प्रश्न स्वतः सृजित होता है। अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयानो में स्पष्ट कहा है कि दोनो पक्षो ने पथराव किया था। अभियोजन एक तरफ यह कहकर आया है कि अभियुक्तगण ने लाठी डंडो से मारपीट कर चोटे कारित की। वहीं स्वयं आहत किशन कहता है कि मुल्जिम पप्पू व घासीराम के द्वारा लाठी से मारपीट करने वाली बात गलत है और उसके व किशन के चोट सियाराम व राजेश नाम के व्यक्ति ने मारी। ऐसे में अभियुक्तगण द्वारा आहतगण के चोटे कारित करना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। परंतु प्रकरण में वक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा अंधाधुंध पत्थर फेंकना और जिससे आहतगण के साथ—साथ मानव जीवन का जीवन संकटापन्न होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है।

22. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि मुल्जिम घासी व पप्पू ने अंधाधुंध पत्थर फेंककर और जिससे आहतगण के साथ—साथ मानव जीवन का जीवन संकटापन्न बनाया। परंतु अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा आहतगण का साशय अवरोध कारित कर उनके साथ कुंद हथियार से मारपीट करना व आहतगण के शरीर पर स्वेच्छया उपहति कारित करना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि अभियोजन पक्ष आरोपीगण घासी व पप्पू पर धारा 323, 341, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, परंतु धारा 336, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

23. परिणामतः अभियुक्तगण घासीराम पुत्र रेवडराम उम्र 50 साल निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, पप्पूराम पुत्र घासीराम उम्र 25 साल निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर को धारा 323, 341,

34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है एवं धारा 336, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

**(मनोज कुमार)**
**अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**थानागाजी, अलवर**

**:: दंड के प्रश्न पर ::**

24. सजा के प्रश्न पर सुना गया। परिवीक्षा की संभावनाओं पर विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। पत्रावली पर पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य अवस्थित नहीं है। अभियुक्तगण सन् 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अभियुक्तगण में से अधिकांश वृद्ध व्यक्ति है। अतः परीविक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया है।

25. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने विरोध जाहिर करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाये एवं न्यायोचित दण्ड से दण्डित किया जाये।

26. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। चूंकि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध हैं कोई पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर साबित नहीं है। अभियुक्त मजदूर पेशा व निर्धन व्यक्ति है। अभियुक्तगण में अधिकांश वृद्धजन है। प्रकरण में मामला वर्ष 2015 का है, 10 वर्ष करीब समय हो चुका है। प्रकरण में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि अभियुक्तगण पूर्व में धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जा चुके है और निर्णय की अपील लंबित है। जिसका खण्डन बचाव पक्ष ने नहीं किया है एवं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए पूर्व दोषसिद्धि व परीविक्षा का लाभ नहीं लिये जाने बाबत शपथ पत्र पेश नहीं किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण ने पूर्व में धारा 326 भारतीय दंड संहिता अपराध के आरोप में दोषसिद्ध होना स्वीकार किया है। इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं पूर्व में गंभीर अपराध के आरोप में अभियुक्तगण का दोषसिद्ध होने से अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नही पाते हुए निम्नानुसार कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

**—::आदेश::—**

27. परिणामतः अभियुक्तगण घासीराम पुत्र रेवडराम उम्र 50 साल निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, पप्पूराम पुत्र घासीराम उम्र 25 साल

निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर को **धारा 336, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप के लिए की गई दोषसिद्धी में** ***तीन–तीन माह के साधारण कारावास व 200–200/–(अक्षरे दो–दो सौ रूपये) अर्थदण्ड*** से एवं अदम अदायगी अर्थदंड 07–07 दिवस के साधारण कारावास से, जो मूल सजा के अतिरिक्त होगी, से दण्डित किया जाता है।

28. अभियुक्तगण का सजा वारंट नियमानुसार बनाया जावे और उनके द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी समयावधि को समायोजित किया जावे। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

29. अभियुक्तगण के नियमित पेशी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

**(मनोज कुमार)**
**अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**थानागाजी, अलवर**

30. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

**(मनोज कुमार)**
**अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**थानागाजी, अलवर**